<u>**प्रेस नोट**</u>

स्वंय के अपहरण का झूठा षडयन्त्र रचकर धोखाधड़ी करने वाले अभियुक्त को थाना न्यूरिया पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।

दिनांक 12.07.2022 को ज्ञानप्रकाश पुत्र चुन्नीलाल निवासी ग्राम मदैना थाना न्यूरिया, पीलीभीत द्वारा थाना कोतवाली पर सूचना दी गयी कि मेरे पुत्र त्रिलोक चन्द उर्फ विक्की उम्र करीब 30 वर्ष की मोटरसाइकिल टनकपुर रोड कचहरी के पास सड़क किनारे मिली है तथा त्रिलोकचन्द उर्फ विक्की की तलाश की गयी तो उसकी कोई जानकारी नही हो पायी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली में दिनांक 12.07.2022 को गुमशुदगी दर्ज की गयी । गुमशुदा त्रिलोकचन्द की तलाश हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक द्वारा सर्विलांस टीम तथा थाना न्यूरिया व थाना कोतवाली की टीमें गठित की गयी । वादी ज्ञानप्रकाश द्वारा अपने बेटे त्रिलोकचन्द की बरामदगी न होने पर थाना कोतवाली में दिनांक 18.07.2022 को मु0अ0सं0-370/22 धारा 364 भादवि अपने ही गांव के लालबहादुर आदि 6 नफर के विरूद्ध पंजीकृत कराया गया । अपहृत त्रिलोकचन्द उर्फ विक्की की तलाश हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में सर्विलांस टीम के सहयोग से गठित टीमों द्वारा त्रिलोकचन्द उर्फ विक्की की सकुशल बरामदगी गोवा राज्य से की गयी तथा बरामद त्रिलोकचन्द से गहन पूछताछ करने पर यह बात प्रकाश में आयी कि त्रिलोकचन्द का अपने ही गांव के लालबहादुर व नरायन लाल आदि से विगत होली पर्व पर परम्परागत किये जाने वाले आयोजनों को नही करने को लेकर झगड़ा हुआ था और तभी से त्रिलोकचन्द उर्फ विक्की रंजिश मानने लगा और इसी रंजिश के चलते त्रिलोकचन्द द्वारा षड़यन्त्र रचकर विपक्षियों के विरूद्ध झूठी कार्यवाही कराने हेतु दिनांक 11.07.2022 की शाम अपनी मोटरसाइकिल को रोड के किनारे छोडकर इस प्रकार दर्शाकर गायब हुआ कि उसका किसी के द्वारा अपहरण कर जनहानि कर दी गयी हो । उक्त षड़यन्त्र रचने के सम्बन्ध में त्रिलोकचन्द के विरूद्ध थाना न्यूरिया पर वादी लालबहादुर से 35000/- रू0 उधार ले लेना मांगने पर टाल मटोल करना व दूसरे वादी नरायन लाल से 50000/- रू0 की धमकी देकर माँग करना व लिये गये पैसे वापस करने व माँगे गये 50000/- रू0 न मिलने पर उपरोक्त दोनो पक्षों को झूठे मुकदमें जेल भिजवाने की धमकियां दी गयी और दबाब बनाने के लिये षड़यन्त्र रचकर विपक्षीगण को जेल भिजवाने की नियत के सम्बन्ध में थाना न्यूरिया पर क्रमशः मु0अ0सं0 350/22 धारा 386/504/506 भादवि व मु0अ0सं0 352/22 धारा 386/406/504/506 भादवि बनाम त्रिलोकचन्द उर्फ विक्की पुत्र ज्ञानप्रकाश नि0 ग्राम मैदना थाना न्यूरिया जनपद पीलीभीत पंजीकृत कराये गये तथा थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 370/22 धारा 364 भादवि में त्रिलोकचन्द उपरोक्त की बरामदगी व पूछताछ के आधार पर मु0अ0सं0 370/22 धारा 364 भादवि से धारा 211 भादवि0 में तरमीम कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। मु0अ0सं0 350/22 धारा 386/504/506 भादवि0 व मु0अ0सं0 352/22 धारा 386/406/504/506 भादवि0 बनाम त्रिलोकचन्द उर्फ विक्की पुत्र ज्ञानप्रकाश नि0 ग्राम मैदना थाना न्यूरिया जनपद पीलीभीत के अभियोगों की विवेचना उ0नि0 श्री गौतम सिहं के सुपुर्द की गयी। अभियुक्त त्रिलोक चन्द उर्फ विक्की की गिरफ्तारी हेतु उच्चाधिकारीगणों के निर्देशन में थानाध्यक्ष न्यूरिया द्वारा सर्विलांस व एसओजी टीम की मदद से निकटता से पर्यवेक्षण कर अभियुक्त त्रिलोकचन्द उर्फ विक्की को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त त्रिलोकचन्द उर्फ विक्की ने पूर्व में होली पर्व के समय रंजिश व रूपये लेने व माँग करने की घटना का इकबाल कर झूठे मुकदमें विपक्षीगण को षडयन्त्र रचकर फंसाये जाने की धमकी देने का इकबाल किया है। अभियुक्त त्रिलोकचन्द उर्फ विक्की को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

<u>**गिरफ्तार अभियुक्तः-**</u>

त्रिलोकचन्द उर्फ विक्की पुत्र ज्ञानप्रकाश नि0 ग्राम मैदना थाना न्यूरिया जनपद पीलीभीत उम्र करीब 30 वर्ष

<u>**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-**</u>

1. थानाध्यक्ष न्यूरिया श्री मनोज कुमार
2. सर्विलांस व एस.ओ.जी. टीम
3. उ0नि0 श्री गौतम सिहं
4. उ0नि0 श्री राकेश कुमार
5. का0 853 अमित कुमार
6. का0 309 रवि कुमार